मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय ,भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 07/04/2026

क्रमांक एफ 6/1/4/0002/2026/18–3 :: नगर पालिका परिषद टीकमगढ़, जिला–टीकमगढ़ में हुई विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं एवं नियम विरूद्ध कराये गये कार्यों के संबंध में निकाय के विभिन्न पार्षदों द्वारा की गई शिकायत एवं शिकायत जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2025 से यह प्रकरण उद्भुत हुआ है।

2) नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ जिला– टीकमगढ में अनियमितता संबंधी शिकायत की जांच प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाकर करायी गयी। जांच दल द्वारा दिनांक 19.12.2025 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार नगर पालिका परिषद, टीकमगढ में हुई विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं एवं नियम विरूद्ध कराये गये कार्यों के लिये तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारियों के साथ श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ जिला–टीकमगढ़ भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये।

3) श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ जिला–टीकमगढ़ में दिनांक 10.08.2022 से वर्तमान तक निर्वाचित अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं। प्रकरण में शिकायत की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत सुनवाई का अवसर देने हेतु श्री अब्दुल गफ्फार को विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.02.2026 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41–क के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर, 15 दिवस की समय–सीमा में प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तदोपरांत श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के अभिभाषक श्री विवेक दलाल ने आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2026 द्वारा श्री गफ्फार को जारी किये गये कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 26.02.2026 से संबंधित जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदाय किये जाने का अनुरोध किया गया। इसी दौरान श्री अब्दुल गफ्फार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद टीकमगढ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक WP No. 9177/2026- श्री अब्दुल गफ्फार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन दायर की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 18/03/2026 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता श्री अब्दुल गफ्फार को जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदाय कर सुनवाई करने के निर्देशों के पालन में श्री अब्दुल गफ्फार को चाहे गये जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 18.3.2026 द्वारा उपलब्ध कराते हुए 15 दिवस में प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 01.04.2026 को स्वयं उपस्थित होकर कारण बताओं नोटिस का लिखित प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेखों में लिया गया।

4) श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़, जिला–टीकमगढ़ पर अधिरोपित आरोप, प्रतिवाद उत्तर एवं विवेचना निम्नानुसार हैः–

आरोप क्रमांक 1 :–

यह कि नगरपालिका परिषद, टीकमगढ में माँ कर्माबाई मार्केट की दुकान क्रमांक 08 एवं 09 के आवंटन प्रक्रिया में ऑनलाईन निविदा आमंत्रित नहीं की जाकर ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की गयी है। उक्त दुकान आवंटन की प्रक्रिया में निविदा की सूचना का प्रकाशन कम से

कम दो समाचार पत्रों में किया जाना आवश्यक था परंतु निकाय द्वारा केवल 01 समाचार पत्र **"दैनिक सदय"** में सूचना का प्रकाशन कराया जाकर एवं निविदा के प्रचार–प्रसार को रोका जाकर व्यक्ति विशेष को प्रश्नाधीन दुकान आवंटित की गयी है।

उक्त दुकानों के आवंटन में मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के नियम 9 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना था, जिसमें क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अनारक्षित वर्ग की विधवाओं एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जबकि उक्त प्रावधान के विरूद्व उक्त दुकानों का आवंटन किया जाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दुकानों का आरक्षण किया गया है। उक्त नियमों में वर्णित नियमों का पालन नहीं किया गया है।

दुकान आवंटन की प्रक्रिया में पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 25.09.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 19 में माँ कर्माबाई मार्केट की दुकान क्रमांक 08 एवं 09 का आवंटन श्री आलोक चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत दर की स्वीकृति प्रदान कर, की गई है, जबकि नस्ती के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है, कि दुकान क्रमांक 08 के लिए जारी निविदा सूचना के अनुसार अमानत राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक जो, कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पक्ष में देय हो, की शर्त रखी गई थी परन्तु उक्त शर्त का उल्लंघन करते हुए अमानत राशि रूपये 28,750.00 का चैक क्रमांक 216469 पंजाब नेशनल बैंक, टीकमगढ़ का दिनांक 01.08.2023 को जमा किया गया है।

नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ की विविध बुक क्रमांक 218 की रसीद क्रमांक 97 दिनांक 14.02.2024 द्वारा प्रीमियम की राशि रूपये 50 हजार एवं विविध बुक क्रमांक 243 रसीद क्रमांक 35 दिनांक 06.01.2025 द्वारा प्रीमियम राशि रूपये 1.00 लाख जमा की गई। इस प्रकार दुकान क्रमांक 08 के लिए कुल राशि रूपये 1,78,750.00 जमा की गई है।

इसी प्रकार दुकान क्रमांक 09 के लिये जारी निविदा सूचना के अनुसार अमानत राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक जो, कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पक्ष में देय हो, की शर्त रखी गई थी परन्तु उक्त शर्त का उल्लंघन करते हुए अमानत राशि रूपये 28,750.00 चैक क्रमांक 216470, पंजाब नेशनल बैंक, टीकमगढ़ का दिनांक 01.08.2023 को जमा किया गया है।

नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ की विविध बुक क्रमांक 218, रसीद क्रमांक 98, दिनांक 14.02.2024 द्वारा प्रीमियम की राशि रूपये 50 हजार एवं विविध बुक क्रमांक 243, रसीद क्रमांक 31, दिनांक 06.01.2025 द्वारा प्रीमियम की राशि रूपये 1.00 लाख जमा की गई। इस प्रकार दुकान क्रमांक 09 के लिए कुल राशि रूपये 1,78,750.00 जमा की गई है।

यह कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रीमियम की राशि के विरूद्व बगैर पूरी राशि जमा कराये दुकान आवंटन किया जाकर, आधिपत्य प्रदान किया गया है, जो कि नियमों के विरूद्व है, जबकि नियमानुसार संपूर्ण राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही अनुबंध पत्र का पंजीयन कराया जाकर आधिपत्य प्रदान किया जाना चाहिये था, परंतु ऐसा नहीं किया जाकर निकाय एवं पंजीयन विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।

दुकान आवंटन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023–24 में की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के आधार पर दुकान क्रमांक 08 एवं 09 के न्यूनतम आवंटन मूल्य की गणना निम्नानुसार होती है :–

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 के आधार पर कलेक्टर गाईड लाईन की दर रूपये 33,600.00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। दुकान क्रमांक 08 का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है। अर्थात भूमि की लागत 33,600x26 = 8,73,600.00 एवं सहायक यंत्री

की टीप के अनुसार दुकान की लागत 2,50,000.00 है। अतः ऐसी स्थिति में न्यूनतम आरक्षित मूल्य 11,23,600.00 होता है।

2. इसी प्रकार दुकान क्रमांक 09 का समान तरीके से आरक्षित मूल्य 11,23,600.00 आंकलित किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत स्पष्ट है, कि उक्त दुकानों के आवंटन में निविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया है तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के नियम 06 का उल्लंघन किया जाकर निकाय को लगभग राशि रूपये 18,89,700.00 आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है, जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

<u>प्रतिवाद उत्तर :– 01,</u>

जांच समिति द्वारा मूल दस्तावेजों के स्थान पर नस्ती की छायाप्रति के आधार पर जांच की गई जिसमे कई स्थानों पर काटछाट की गई, अतः ऐसी संदेह स्पद प्रतिओं के आधार पर की गई जांच की विश्वसनियता शून्य है, फोटोकॉपी के आधार पर की गई जांच अवैध शून्य है अतः यह आरोप इसलिए अप्रचलनीय है दुर्भाग्यपूर्ण विकल्प में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये, अचल सम्पत्ति अतंरण नियम, 2016 के अन्तर्गत किसी भी सम्पत्ति को किराये पर दिये जाने के संबंध मे समस्त शक्तियां नियम 3 (1) (अचल सम्पत्ति का अंतरण) मुख्य नगर पालिका अधिकारी में वैष्ठित है, उत्त नियमों के अन्तर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रकरण अनुशंसा प्रस्तावना पर प्रकरण प्रेसीडेन्ट–इन–कांउसिल द्वारा निराकृत किया गया। प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होकर मध्यप्रदेश संचालन (मेयर–इन–कांउसिल/प्रेसीडेन्ट–इन–कांउसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 नियम 12 संकल्प आदेश का क्रियान्वयन (3) के अन्तर्गत पीआईसी द्वारा निराकृत संकल्प क्रमांक 19, दिनांक 25.09.2023 का पालन करने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कोई संकल्प के विरूद्ध प्रस्तावना प्रकरण नहीं की गई समस्त शक्तियां मुख्य नगर पालिका अधिकारी में वैष्ठित होने से अध्यक्ष का कोई उत्तरदायित्व होना प्रतीत नहीं होता यह कि सीएमओं जो कि मुख्यतः एवं पूर्णतः इस आरोप के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है, को आरोप पत्र दिया गया है। अतः अध्यक्ष पर आरोप लगाना दुर्भावना पूर्ण है। उत्तानुसार बिन्दु क्रमांक 01, अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से आरोप अस्वीकार है।

विवेचना :–

उपरोक्त आरोप में श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ जिला–टीकमगढ़ के विरूद्ध अचल संपत्ति का अंतरण नियम, 2016 के नियमों का उल्लंघन तथा निविदा की शर्तो का उल्लंघन कर निकाय को राशि रूपये 18,89,700/– की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप अधिरोपित हैं, जिसके प्रतिउत्तर में अध्यक्ष द्वारा संपूर्ण जबावदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की बताते हुए कामकाज का संचालन, नियम 1998 के नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की बात कही गई है। साथ ही यह कहां गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किसी भी संकल्प के विरूद्ध कोई प्रस्तावना प्रकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से अध्यक्ष की भूमिका नहीं होती है। जबकि पीआईसी के अध्यक्ष के रूप में श्री अब्दुल गफ्फार द्वारा संकल्प कमांक 19 दिनांक 25.09.2023 का अनुमोदन किया गया है जिसके कारण नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ को राशि रूपये 18,89,700/– की आर्थिक हानि संभव हुई है।

अभिलेखों से स्पष्ट है कि दुकान आवंटन में आरक्षण का पालन नहीं किया गया। ऑनलाईन के वाजह ऑफलाईन निविदा आमंत्रण की गई, निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया तथा शर्तो का उल्लंघन किये जाने से निकाय में नियमानुसार संपूर्ण राशि जमा नहीं हुई एवं निकाय को आर्थिक क्षति हुई है।

अध्यक्ष, श्री गफ्फार का यह कहना कि समस्त दायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का हैं तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा संकल्पों के विरूद्ध कोई प्रस्तावना प्रस्तुत नहीं की गई, मान्य नहीं किया जा सकता क्योकि अध्यक्ष निकाय के कार्यो के प्रति जबावदेही रखते है तथा अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप निकाय के कार्यो के प्रति पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु बाध्य है। जिसके लिए अध्यक्ष भी उत्तरदायी है।

अतः आरोप क्रमांक 01 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार, के विरूद्ध प्रमाणित पाया जाता है।

<u>आरोप क्रमांक 02</u>

यह कि नगरपालिका परिषद की बैठक दिनांक 29.03.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 10 द्वारा निकाय की सीमावृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये आउटसोर्स एजेंसी से निविदा आमंत्रण कर आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने का प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु निकाय द्वारा राजस्व शाखा की मांग पर पीआईसी के संकल्प क्रमांक 13, दिनांक 21.06.2023 द्वारा 10 आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर 89 दिवस पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उल्लेखनीय है, कि राज्य शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है एवं उक्त प्रकरण में रेसीडेंट आडिट द्वारा भी इस आशय की आपत्ति ली गई है कि परिषद का प्रस्ताव आउटसोर्स से रखने का था लेकिन आपके द्वारा उक्त कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी पर रखे जाकर, अनियमित रूप से भर्ती की गई है।

यह कि दिनांक 22.12.2023 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्रस्ताव पर कर्मचारियों को रखे जाने का प्रस्ताव मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया गया था परन्तु आपके द्वारा स्वयं स्वीकृति दी जाकर ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर 05 एवं अन्य 10 श्रमिकों अर्थात कुल 15 श्रमिकों को 89 दिवस के लिए दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया था, जिसमें 10 श्रमिकों का माह नवम्बर, 2023 से जनवरी, 2024 तक कुल 03 माह का भुगतान एक साथ राशि रूपये 2,03,213.00 का प्रस्तुत किया गया था, जिस पर रेसीडेंट आडिट द्वारा आपत्ति ली गई, कि कर्मचारियों को परिषद प्रस्ताव अनुसार आउटसोर्स पर क्यों नहीं रखा गया एवं कर्मचारियों को किस आधार पर रखा गया है एवं लेखापाल के नस्ती पर हस्ताक्षर नहीं कराये गये।

राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन कर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ में रखा जाकर लगभग राशि रूपये 1,92,830.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

प्रतिवाद उत्तर :— 02,

उक्त बिन्दु मे वर्णित कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार रखे जाने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी की प्रस्तावना पर कार्योत्तर स्वीकृति पीआईसी संकल्प क्रमांक 13, दिनांक 21.06.2023 द्वारा 89 दिवस हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 94 (9) के अन्तर्गत विनिर्दिष्टि कालावधि के लिए कर्मचारियों के नियोजन की शक्तियां प्रेसीडेन्ट–इन–कांउसिल में निहित है इसी प्रकार परिषद अथवा पी.आई.सी

द्वारा पारित संकल्पों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य नगर कार्यपालन अधिकारी का होता है, परिषद अथवा पीआईसी द्वारा यदि कोई विधि विरूद्ध संकल्प पारित किया जाता है तो उक्त संकल्पों के क्रियान्वयन पर अधिनियम की धारा 323 (1) अन्तर्गत संकल्प निलम्बित कराने का दायित्व अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है साथ ही मध्यप्रदेश (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के नियम 165 (1) के अंतर्गत वेतन आदि के व्यय पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जाना प्रावधानिक होने से कर्मचारियों के नियोजन अथवा वेतन भुगतान के अधिकार अध्यक्ष को न होने से यह कि सीएमओं जो कि मुख्यतः एवं पूर्णतः इस आरोप के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है, को आरोप पत्र दिया गया है अतः अध्यक्ष पर आरोप लगाना दुर्भावनापूर्ण है। आरोप अस्वीकार है।

विवेचना :— 02,

आरोप क्रमांक 02 में अध्यक्ष पर कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने के स्थान पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखे जाने का आरोप अधिरोपित किया गया है। शासन के निर्देश अनुरूप दैनिक वेतन भोगी रखे जाकर निकाय को राशि रूपये 1,92,830/— की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप अधिरोपित हैं, इस संबंध में अक्ष्यक्ष द्वारा अपने उत्तर में लेख किया गया है कि पीआईसी संकल्प क्रमांक 13 दिनांक 21.06.2023 द्वारा 89 दिवस हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 94(9) अंतर्गत विनिर्दष्ट कालावधि के लिए कर्मचारियों के नियोजन की शक्तियां पीआईसी में निहित है तथा पीआईसी के संकल्पों का दायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होता है। पीआईसी द्वारा कोई संकल्प पारित किया जाता हैं तो यदि वह विधि विरूद्ध है तो उसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी उत्तरदायी रहेगा। लेखा नियमों अंतर्गत वेतन आदि के हस्ताक्षर मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाते हुए इस हेतु अध्यक्ष कानून रूप से उत्तरदायी नहीं है।

उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन तथा अध्यक्ष के उत्तर से यह तो स्पष्ट है कि निकाय में परिषद बैठक में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंरतु परिषद द्वारा दैनिक वेतनभोगी पर कर्मचारियों को रख लिया गया है। आरोप की मूल भावना के विपरीत अध्यक्ष द्वारा मात्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संकल्प के क्रियान्वयन का उत्तरदायी ठहराते हुए अपना बचाव किया गया है। परिषद में प्रस्तुत प्रस्तावों पर पीआईसी निर्णय लेती है तो अध्यक्ष का यह दायित्व है कि प्रस्तुत प्रस्ताव नियमानुसार है अथवा नहीं है की जांच करें । इस प्रकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार 15 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 89 दिवस के लिए नियम विरूद्ध रखने के लिए जिम्मेदार है।

राज्य शासन द्वारा समय—समय पर निर्देश जारी कर दैनिक वेतनभोगी की नियुक्ति न किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके विपरीत जाकर दैनिक वेतनभोगी की नियुक्ति की जाकर निकाय को राशि रूपये 1,92,830/— की आर्थिक आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार भी उत्तरदायी है।

अतः आरोप क्रमांक 02, श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ के विरूद्ध प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक 03

यह कि नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़ की राजस्व शाखा में कर्मचारियों की कमी बताई जाकर तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्रस्ताव पर आपके द्वारा पी.आई.सी. की पुष्टि की प्रत्याशा में 10 कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं दिनांक 01.04.2023 से एक दिन बाद ही 10 कर्मचारियों को राशि रूपये 6,500.00 प्रतिमाह के मानदेय पर रखा गया, जबकि आदर्श कार्मिक संरचना में कर्मचारियों की नियुक्ति

नियमित/विनियमित/संविदा/आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने के निर्देश हैं। लेकिन आपके द्वारा 10 कर्मचारियों की नियुक्ति कर पी.आई.सी. की पुष्टि की प्रत्याशा में रखा जाकर राशि रूपये 1,92,840.00 का भुगतान निकाय निधि से किया गया है, जिससे निकाय को आर्थिक क्षति हुई है। साथ ही नस्ती में 10 कर्मचारियों के नाम का उल्लेख है, लेकिन 10 कर्मचारियों के चयन का आधार क्या था, का उल्लेखित नहीं है। रेसीडेंट आडिट के द्वारा आपत्ति लिये जाने के बावजूद भी उक्त प्रकरण में भुगतान की कार्यवाही की गई है एवं निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

प्रतिवाद उत्तर :— 03,

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 94 (9) के अन्तर्गत विनिर्दिष्टि कालावधि के लिए कर्मचारियों के नियोजन की शक्तियां प्रेसीडेन्ट—इन—कांउसिल में निहित है इसी प्रकार परिषद अथवा पी.आई.सी द्वारा पारित संकल्पो के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य नगर कार्यपालन अधिकारी का होता है, परिषद अथवा पीआईसी द्वारा यदि कोई विधि विरूद्ध संकल्प पारित किया जाता है तो उक्त संकल्पो के क्रियान्वयन पर अधिनियम की धारा 323 (1) अन्तर्गत संकल्प निलम्बित कराने का दायित्व अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है साथ ही मध्यप्रदेश (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के नियम 165 (1) के अन्तर्गत वेतन आदि के व्यय पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जाना प्रावधानिक होने से मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं लेखापाल की प्रस्तावना पर आवासीय संपरीक्षा द्वारा ली गई आपत्ति पर मेरे द्वारा सहमति प्रदान कर निकाय को आर्थिक क्षति से रोका गया है। यह कि सीएमओं जो कि मुख्यतः एवं पूर्णतः इस आरोप के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है, को आरोप पत्र दिया गया है अतः अध्यक्ष पर आरोप लगाना दुर्भावना पूर्ण है। आरोप अस्वीकार है।

विवेचना :— 03

आरोप क्रमांक 03 में अध्यक्ष के विरूद्ध पीआईसी की प्रत्याशा में आरोप क्रमांक—02 अनुरूप दैनिक वेतन भोगी बिना किसी आधार का उल्लेख किये रखे जाने के आरोप अधिरोपित है। इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा आरोप क्रमांक 02 की भांति अपने जबाव में संपूर्ण दायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का दायित्व बताते हुए अध्यक्ष की भूमिका न होने का उल्लेख किया गया है जो कि मान्य योग्य नहीं है। क्योंकि बिना पीआईसी की अनुमति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं रखे जा सकते थे ।

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि आरोप क्रमांक 03 में वर्णित तथ्य सही है तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा अध्यक्ष नगर पालिका परिशद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार द्वारा अनियमित रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ में रख लिये गये है। चयन का न कोई आधार उल्लेखित हैं और पीआईसी अनुमोदन की प्रत्याशा में ही भुगतान की कार्यवाही शुरू कर दी गई है जो नियमों के विपरीत है। जिसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ—साथ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ श्री अब्दुल गफ्फार उत्तरदायी है।

अतः आरोप क्रमांक 03 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार के विरूद्ध प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक 04

यह कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक एन.एच.एम. /22/953, दिनांक 08.02.2022 द्वारा 15वें वित्त आयोग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा शुद्धिकरण के लिए नगरपालिका क्षेत्र में 03 नग संजीवनी क्लीनिक की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। संजीवनी क्लीनिक के प्राक्कलन की राशि रूपये 75,62,064.00 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रशासक श्री सुभाष कुमार द्विवेदी कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 27.05.2022 को संकल्प क्रमांक 101 द्वारा दी गई थी, जिस पर कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग–सागर के पत्र क्रमांक 536, दिनांक 27.05.2022 के द्वारा पुरानी टेहरी के पास संजीवनी क्लीनिक निर्माण की राशि रूपये 25,20,588.53 की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उपरोक्त के अनुक्रम में निकाय द्वारा ऑनलाईन टेण्डर क्रमांक 2022_UAD_207760_1 दिनांक 27.05.2022 को ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें 02 निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें न्यूनतम निविदादाता मेसर्स गौर बंधु इन्टरप्राईजेज की दर 6.66 प्रतिशत कम को परिषद की बैठक दिनांक 29.03.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 04 से स्वीकृत की गई, जिस पर नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ द्वारा कार्यादेश क्रमांक 4056 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा कार्य कराया गया।

राज्य शासन के निर्देशानुसार भूमि चयन के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 404 दिनांक 28.03.2022 द्वारा तीन सदस्यीय टीम का आदेश जारी किया गया, जिसमें तहसीलदार टीकमगढ़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़ थे, जिनके द्वारा स्थल चयन कर पुरानी टेहरी के पास तालाब वायपास रोड़, खसरा क्रमांक 142 (S) रकबा 0.5950 हेक्टेयर में से 0.022 हेक्टेयर, नये बस स्टेण्ड के पीछे मुक्तिधाम खसरा नं. 1527/2800(S) रकबा 4.071 हेक्टेयर में से 0.023 हेक्टेयर एवं रावतपुरा कॉलेज के सामने खसरा नं. 1419(S) रकबा 3.723 हेक्टेयर में से 0.023 हेक्टेयर चिन्हित कर नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ के पत्र क्रमांक 2611 दिनांक 10.05.2022 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय को पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त चयनित भूमि का चयन एवं अनुमोदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 5161–62 दिनांक 10.05.2022 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़ एवं तहसीलदार, टीकमगढ़ के समन्वय से किया गया, जिसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–टीकमगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2418, दिनांक 29.04.2022 के द्वारा आर.सी.एम.एस पोर्टल पर चिन्हित भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि को कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1215/2022 द्वारा आवंटित किया गया।

यह कि उक्त भूमि का चयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तहसीलदार टीकमगढ़ एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर चिन्हांकित किया गया है। जांच दल द्वारा पुरानी टेहरी के पास तालाब बायपास रोड़ पर बने संजीवनी क्लीनिक का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया, कि संजीवनी क्लीनिक का निर्माण जलभराव क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है एवं रोड़ से क्लीनिक तक जाने के लिये अप्रोच रोड़ भी नही बनाई गई है एवं स्थल का चयन वॉटर लॉगिंग/डूब क्षेत्र में किया गया है, जिससे क्लीनिक बंद पड़ा हुआ है एवं संजीवनी क्लीनिक की प्लिंथ के लेवल को निर्माण करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है एवं जलभराव क्षेत्र में निर्मित किये गये संजीवनी क्लीनिक का भुगतान राशि रूपये 21,42,628.00 किया गया हैं जिससे निकाय को आर्थिक क्षति हुई हैं, जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

प्रतिवाद उत्तर – 04,

बिन्दु क्रमांक 4 में वर्णित कलेक्टर महोदय द्वारा दल गठित पत्र क्रमांक 404, दिनांक 28.03.2022 द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित कर भूमि चयन किया गया, कलेक्टर महोदय के आवंटित आदेश क्रमांक 12.05.2022 द्वारा भूमि आवंटित की गई, जबकि मेरे द्वारा निकाय में दिनांक 10.08.2022 को कार्य भार ग्रहण किया गया। मेरे कार्यभार ग्रहण के पूर्व ही भूमिका चिन्हांकन व आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की गई साथ ही शिकायत वर्णित जल भराव क्षेत्र आदि के संबंध में प्रकरण में शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारियों द्वारा किसी प्रस्तावना से मुझे या शासन को अवगत नहीं कराया गया इस कारण मेरे कार्यकाल के पूर्व का होने से आरोप स्वीकार योग्य नहीं है।

विवेचना – 04

आरोप क्रमांक 04 में संजीवनी क्लीनिक के स्थल चयन के संबंध में जल भराव क्षेत्र का चयन किये जाने से क्लीनिक निर्माण में हुई राशि के व्यर्थ होने का आरोप अधिरोपित है। अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अपने प्रतिवाद उत्तर में लेख किया गया है कि भूमि का चयन उनके कार्यकाल में नहीं किया गया है वरन उनका कार्यकाल तीन माह बाद दिनांक 10.08.2022 को प्रारंभ हुआ था, जबकि भूमि का चयन दिनांक 12.05.2022 को किया जा चुका था।

अभिलेखों के अवलोकन से अध्यक्ष का उपरोक्त तथ्य मान्य योग्य प्रतीत होता है। अतः अध्यक्ष के विरूद्ध आरोप क्रमांक 04 प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

आरोप क्रमांक 05

यह कि नगरपालिका परिषद की बैठक दिनांक 16.11.2022 से विभिन्न वार्डो में नवीन पाईप लाईन विस्तार का कार्य किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु परिषद प्रस्ताव में प्राक्कलन एवं राशि का उल्लेख नहीं है, जिससे सिद्ध होता है, कि परिषद का प्रस्ताव नियमानुकूल पारित नहीं किया गया है एवं परिषद के प्रस्ताव का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। प्रकरण में 110 एमएम व्यास की 06 किलो बजन की एचडीपीई पाईप लाईन क्रय करने की स्वीकृति का उल्लेख है जबकि जैम पोर्टल की बिड में 100 एमएम एचडीपीई पाईप लाईन की मांग की गयी है। बिड में कुल पांच टेंडर प्राप्त हुये, जिसमें से तीन बिडर को किस कारण अमान्य किया गया है, का उल्लेख निविदा समिति द्वारा नहीं किया गया है, जिन दो निविदाकारों को मान्य किया गया है, वह पिता एवं पुत्र की कम्पनियॉ क्रमशः मेसर्स महाकाल इंडस्ट्रीज एवं तनु इंटरप्राइजेज है तथा इनके द्वारा दरें भी मिलती जुलती दर्शाई गयी हैं, जो कि क्रमशः राशि रूपये 5,92,800.00 एवं 5,98,800.00 हैं।

निविदा समिति द्वारा क्रय की गई सामग्री का तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया गया है। जैम पोर्टल के दिशा निर्देशानुसार समय अवधि की वृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी थी, जो कि नस्ती में उपलब्ध नहीं है। उपयंत्री द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, कि सप्लायर द्वारा पाईप की दर 418.64 पैसे प्रति मीटर प्रदाय की गयी है परंतु यूएडीडी एसओआर पर दर रूपये 354.00/मीटर विथ ज्वाइंटिग है। अतः निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूपये 5,92,800.00 में से एसओआर दर पर भुगतान राशि रूपये 4,64,920.00 किये जाने की अनुशंसा की गयी।

यदि निकाय द्वारा खुली निविदा जारी की जाती है, तो 30 से 40 प्रतिशत एसओआर से कम पाईप लाईन की दरें प्राप्त हो सकती थी जबकि ऐसा नहीं किये जाने से निकाय को आर्थिक क्षति पहुंची है, जिन दो निविदाकारों को क्वालीफाइड कराया गया है, उनके द्वारा ईएमडी जैम पोर्टल पर ऑफलाईन अपलोड दर्शाया गया है जबकि नस्ती पर केवल एल–1

की ईएमडी पाई गयी है परंतु एल–2 को भी निविदा में पात्र पाया गया था। अतः एल–2 की ईएमडी भी जमा की जाना चाहिए थी जो नस्ती पर नहीं पाई गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त जैम पोर्टल पर ईएमडी के ऑनलाईन लिये जाने की व्यवस्था है परंतु निकाय द्वारा ऐसा किन कारणों से किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। जैम पोर्टल की बिड का प्रकाशन किसी समाचार पत्र में नहीं पाया गया, जिससे प्रचार प्रसार की कमी रहीं एवं दरें अधिक आयी। यह कि नस्ती पर किसी भी वार्ड पार्षद का मांगपत्र संलग्न नहीं पाया गया है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

नगरपालिका परिषद की बैठक दिनांक 16.11.2022 प्रस्ताव क्रमांक 21 में न तो प्राक्कलन का उल्लेख है एवं न ही राशि का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में परिषद का प्रस्ताव वैधानिक नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ यह है, कि इस प्रस्ताव से राशि रूपये 02 करोड़ तक का कार्य बिना प्राक्कलन एवं राशि के उल्लेख के कराये जाने का प्रयास किया गया है। प्रकरण में 150 एमएम व्यास का 1 हजार मीटर पाईप लाईन हेतु रूपये 10 लाख की स्वीकृति प्रदाय की गयी है। परन्तु नस्ती में न तो प्राक्कलन एवं न ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई एवं न ही समाचार पत्रों में जैम की बिड के संबंध में निविदा जारी की गयी।

जैम पोर्टल पर दिनांक 10.03.2023 को बिड जारी की गयी है, जिसमें कुल पांच बिड तकनीकी समिति द्वारा पूर्वानुसार दो बिड मेसर्स महाकाल इंडस्ट्रीज एवं मेसर्स तनु इंटरप्राईजेज, जो कि पिता पुत्र की कम्पनियां है, खोलने की अनुशंसा की गई है, जबकि शेष तीन को किस कारण से अमान्य किया गया, इस संबंध में तकनीकी समिति द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकरण में दिनांक 28.03.2023 को निविदा खोले जाने से लेकर कार्यादेश दिये जाने तक की कार्यवाही एक ही दिवस में पूर्ण की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है, कि दिनांक 28.03.2023 को ही देयक भी भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। इतनी लंबी प्रक्रिया एक ही दिवस में किया जाना संभव नहीं है। देयक राशि रूपये 8,99,000.00 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपयंत्री द्वारा कटौत्रा किया जाकर राशि रूपये 8,05,054.00 का भुगतान अनुशंसित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है, कि न्यूनतम दरें एसओआर की दरों से अधिक है खुली निविदा में यदि निविदा जारी की जाती है, तो पाईप लाईन दरें एसओआर से 30 से 40 प्रतिशत कम प्राप्त होती। आपके द्वारा न्यूनतम दर की स्वीकृति पीआईसी से न कराकर अपने वित्तीय अधिकारों से परे जाकर वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 8,05,954.00 की दी गयी है, जो कि अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। प्रकरण में गंभीर अनियमितता की जाकर किसी संस्था विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयास किया जाकर निकाय को आर्थिक क्षति पहुचाई गयी है। जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

प्रतिवाद उत्तर – 05,

आरोप के संबंध मे लेख है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी की प्रस्तावना पर मेरे द्वारा जनहित को दृष्टिगत रखते हुये पाईप लाइन क्रय की स्वीकृति परिषद संकल्प क्रमांक 21, दिनांक 16.11.2022 द्वारा प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 6–14/2012/अ–तेहत्तर, भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2017 द्वारा जैम से सामग्री आदि कय करने हेतु अनिवार्य किया गया है। शिकायत में वर्णित तकनीकी बिन्दु के संबंध में चयन करने का अधिकार निकाय के तकनीकी अधिकारी एवं निविदाकारों की निविदा के संबंध में मध्यप्रदेश (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 अन्तर्गत नियम 240 के अनुसार परीक्षण करने हेतु समिति निर्धारित की गई है प्रकरण में मुख्य नगर पालिका अधिकार के परीक्षण अनुशंसा दिनांक 27.03.2023 के अनुसार मेरे द्वारा प्रेसीडेन्ट–इन–कांउसिल में प्रकरण रखे जाने आदेश पारित किया गया किन्तु प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि

प्रकरण पीआईसी में न रखा जाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया उक्त बिन्दु मेरे अधिकार क्षेत्र में न होकर तकनीकी अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अधिकारिता में होने से यह कि सीएमओं जो कि मुख्यतः एवं पूर्णतः इस आरोप के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है, को आरोप पत्र दिया गया है अतः अध्यक्ष पर आरोप लगाना दुर्भावनापूर्ण है। आरोप अस्वीकार है।

विवेचना – 05

उपरोक्त आरोप क्रमांक 05 में अध्यक्ष पर पाईप लाईन विस्तार कार्य में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने तथा अधिक दर पर कार्य कराये जाने का आरोप अधिरोपित किया गया है। अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में लेख किया गया है कि परिषद संकल्प क्रमांक 21, दिनांक 16.11.2022 द्वारा पाईप लाईन क्रय की अनुमति दी गई है साथ ही आरोप में वर्णित बिन्दु तकनीकी स्वरूप के है जिसके लिए तकनीकी अधिकारियों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया है। मेरे अधिकार क्षेत्र में न होने से मुझ पर आरोप लगाना दुर्भावनापूर्ण है।

यह उल्लेखनीय है कि अभिलेखों में यह तथ्य परिलक्षित हुए है कि जेम पोर्टल में पाईप लाईन की मांग हेतु 05 टेंडर प्राप्त हुए जिसमें तीन को किस कारण अमान्य किया गया का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही पिता पुत्र की कंपनी, मेसर्स महाकाल इंडस्ट्रीज़ एवं तनु इंटरप्राईजेज को पात्र पाया गया। खुली निविदा यदि आमंत्रित की जाती तो निकाय को कम दरें प्राप्त हो सकती थी। ऐसा नहीं किया गया, यह भी तथ्य प्रकाश में आये है कि निविदा खोले जाने से लेकर कार्यादेश जारी किये जाने एवं देयक भुगतान हेतु बिल दिनांक 28.3.2023 को ही प्रस्तुत कर दिये गये है।

उपरोक्तानुसार यह तो स्पष्ट है कि आरोप में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाते हुए निकाय को आर्थिक क्षति कारित की गई है। अब अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार का उपरोक्त प्रक्रिया में निविदा संमिति के सदस्यों को उत्तरदायी ठहराना तकनीकी अधिकारियों का दायित्व बताना तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दोषी ठहराना जाना मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि निकाय में उपरोक्त कार्यवाही बिना उनके पर्यवेक्षण एवं निगरानी के पूर्ण नहीं की जा सकती और यदि की भी गई है तो अध्यक्ष धारा 51 अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहें है। जिसके लिए अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार उत्तरदायी है।

अतः आरोप क्रमांक 05 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार के विरूद्ध प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक 06

यह कि निकाय द्वारा 70 वाट एलईडी स्ट्रीट लाईट 450 नग कुल लागत 20.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति पीआईसी की बैठक दिनांक 09.12.2022, प्रस्ताव क्रमांक 04 द्वारा प्रदाय की गयी थी। नस्ती में उल्लेख है, कि अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद द्वारा उक्त सामग्री जैम पोर्टल से क्रय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। नस्ती अनुसार एसओआर दर पर प्राक्कलन नस्ती में पाया जाना नहीं पाया गया एवं न ही प्रकरण की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी। जैम पोर्टल पर अपलोड किये गये बिड डाक्यूमेंट एलईडी की तकनीकी विशेषतायें एवं कम्पनी का उल्लेख नहीं किया जाकर बिड डाक्यूमेंट अपलोड किया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है, कि 70 वाट एलईडी स्ट्रीटलाईट किस टेंक्नीकल स्पेशिफिकेशन एवं किस कंपनी की

एलईडी लाईट क्रय किया जाना है, जिसका लाभ उठाया जाकर निविदाकर्ता द्वारा निम्न गुणवत्ता की एलईडी सप्लाई अधिक दर पर ली जाकर निकाय को आर्थिक क्षति पहुचाई गयी है।

साथ ही दिनांक 27.12.2022 को जैम पोर्टल पर बिड लागयी गई थी एवं दिनांक 06.01.2023 को बिड खोली गयी, जो कि कुल 10 कार्य दिवस होते हैं, जबकि बिड की समयवधि 30 दिवस होनी चाहिये। यह कि उक्त प्रकरण में शिकायत के उपरांत बिड को निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण मे पुनः निविदा के लिए आपके द्वारा आदेशित किया गया, कि जैम पोर्टल से ही क्रय की कार्यवाही करें तद्पश्चात पुनः निविदा दिनांक 23.02.2023 को बिड लगायी गई एवं दिनांक 06.03.2023 को कुल 09 दिवस में प्रक्रिया पूर्ण की गयी, जबकि द्वितीय निविदा कम से कम 15 दिवस की अवधि की होनी चाहिए थी।

इस निविदा में कुल चार निविदाकारों द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी, मात्र एक निविदाकार मेसर्स तनु इंटरप्राइजेज के द्वारा आपके समक्ष उपस्थित होकर ईएमडी की राशि जमा की गयी, ईएमडी की राशि जैम पोर्टल पर अपलोड की जाती है, ईएमडी की राशि जैम पोर्टल पर अपलोड न किया जाकर उसको प्रिंटआउट लिया जाकर ऑफलाईन अपलोड दर्शाया गया है। प्राप्त न्यूनतम दर की वित्तीय स्वीकृति पी.आई.सी. से लिया जाना था परंतु आपके द्वारा पीआईसी की स्वीकृति की प्रत्याशा में दरों को स्वीकृत कर निविदा समिति में रखे जाने का आदेश नस्ती पर दिया गया है। साथ ही जैम पोर्टल से किये गये अनुबंध में स्टाम्प संलग्न नहीं पाया गया है, जबकि नियमानुसार 50 लाख रूपये तक की सामग्री क्रय अनुबंध के लिये मिनिमम रूपये 500.00 का स्टॉम्प अनिवार्य है इस प्रकार स्टॉम्प शुल्क(राजस्व) की क्षति पहुंचाई गयी है।

यह कि दिनांक 15.03.2023 में निविदा समिति अध्यक्ष द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुबंध एवं कार्यादेश की कार्यवाही एक कार्य दिवस में ही जारी किया गया, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। यदि प्रकरण में ई–निविदा जारी की जाती, तो एलईडी लाईट की दर एसओआर से 40 से 50 प्रतिशत कम आती साथ ही नस्ती में न तो एलईडी लाईट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का उल्लेख है और न ही किस कंपनी की एलईडी लाईट क्रय की गयी है, का उल्लेख है। जिससे निकाय को लगभग रूपये 10.00 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

प्रतिवाद उत्तर – 06,

उक्त बिन्दु मे वर्णित साग्रगी जैम से क्रय करने हेतु मेरे द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल क्रमांक एफ 6–14/2012/31–तेहत्तर, भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2017 द्वारा जैम से सामग्री आदि क्रय करने हेतु अनिवार्य किया गया है। जबकि प्रकरण की नोटशीट क्रमांक 07 पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा भंडार क्रय नियमों से क्रय करने के आदेश पारित किये जाकर स्टोर शाखा को आदेशित किया है उक्त आदेशों के पालन मे शाखा प्रभारी द्वारा जैम पर विड लगाने की विड तैयार की गई विड का अवलोकन/अनुमोदन/स्वीकृति मुझे प्राप्त न की जाकर समस्त कार्यवाही तकनीकी अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की जाकर प्रकरण नोटशीट क्रमांक 12 पर मुझे अग्रेषित किया जाकर पीआईसी में रखे जाने प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया मेरे द्वारा प्रकरण निविदा समिति में रखे जाने स्वीकृति प्रदान की गई तदोपरांत प्रकरण मेरी ओर भुगतान के लिए अग्रेषित किया गया। शिकायत में वर्णित तकनीकी बिन्दुओं के संबंध मे एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के अध्याय 05 अभिप्राप्ती एवं अनुबंध प्रबंधन मे नियम 84 लगायत 146 एवं नियम 240 के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी एवं विड आदि परीक्षण की शक्तियां तकनीकी अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी में निहित है। साथ ही मध्य प्रदेश नगरपालिका (मेयर–इन–कांउसिल/प्रेसीडेन्ट–इन–कांउसिल के कामकाज का संचालन

तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 नियम 12 के उपनियम 01 लगायत 06 में स्पष्ट है कि किसी प्रकार के आदेश/संकल्प विधि विपरीत होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नियमों के साथ पुनः प्रस्तुत करेगा किंतु प्रकरण में ऐसी कोई प्रस्ताव प्रकरण में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा न दिये जाने से आरोप निराधार होने से अस्वीकार है।

विवेचना – 06

आरोप क्रमांक 06 में अध्यक्ष के विरूद्ध एलईडी स्ट्रीट लाईट क्रय करने में अनियमितता किये जाने तथा निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप अधिरोपित है। इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में अन्य आरोपों की भांति मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दोषी ठहराते हुए कि गई कार्यवाही को सही बताया है तथा उल्लेख किया गया है कि यदि कोई कार्यवाही नियम विरूद्ध की जाती है तो अधिनियम में वर्णित नियमों के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी उत्तरदायी है।

उपरोक्त आरोपों से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकाश में आए है कि जेम पोर्टल पर जो बिड लगाई गई एवं जब बिड खोली गई उसमें मात्र 10 दिवस का अंतर था जबकि नियमानुसार 30 दिवस होना चाहिए था। शिकायत उपरांत उपरोक्त बिड को निरस्त किया गया तथा पुनः बिड के लिए आदेशित किया गया है। पुनः प्रक्रिया 09 दिवस में पूर्ण की गई है जबकि यह समय नियमानुसार 15 दिवस होना चाहिए था। प्राप्त निविदा में 04 निविदाकारों द्वारा बिड प्रस्तुत की गई और मात्र 01 निविदाकार तनु इंटर प्राईजेज द्वारा ऑफलाईन ईएमडी जमा की गई है जबकि ईएमडी ऑनलाईन जमा किये जाने के प्रावधान है। पीआईसी की स्वीकृति की प्रत्याशा में दरों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। यह और भी उल्लेखनीय है कि एक ही दिवस में अनुबंध कार्यादेश जारी किये गये है। जो प्रथम दृष्टया ही व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किये जाना ज्ञात होते है। उपरोक्त आरोपों में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार की भूमिका भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जिसके लिए अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार उत्तरदायी है।

अतः आरोप क्रमांक 06 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार के विरूद्ध प्रमाणित पाया जाता है।

<u>आरोप क्रमांक 07</u>

यह कि पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 07, दिनांक 09.12.2022 द्वारा राशि रूपये 20 लाख की ई-निविदा के माध्यम से एलम क्रय करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गयी थी। परंतु निकाय द्वारा जैम पोर्टल पर बिड जारी की गयी, जिसमें मेसर्स श्रीनाथ इलेक्ट्रीकल की आपत्ति पर बिड निरस्त कर दी गयी। निरस्ती उपरांत आपके द्वारा पुनः 50 टन एलम क्रय करने के लिए जैम पोर्टल से बिड किये जाने के आदेश दिये गये जिस पर तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा एलम जैम पोर्टल से क्रय न कर, ई-निविदा के माध्यम से क्रय किये जाने की सहमति की गई। जिस पर आपके द्वारा जैम पोर्टल से ही सामग्री क्रय किये जाने के लिए आदेश जारी किये गये। दिनांक 21.09.2023 को जैम पोर्टल पर 01 लाख कि.ग्रा. एलम क्रय की बिड राशि रूपये 20.00 लाख जारी गयी। सामान्यतः एलम की बाजार दर रूपये 6.50 प्रति किग्रा. है ऐसी स्थिति में 01 लाख कि.ग्रा. एलम का प्राक्कलन 6.50 लाख का बनाया जाना चाहिए था, जिसे रूपये 20.00 लाख का बनाया जाकर प्रांरभ से ही अनियमित बिड डाक्यूमेंट तैयार किया गया। जैम पोर्टल पर दिनांक 21.09.2023 को निविदा का प्रकाशन किया जाकर दिनांक 04.10.2023 को मात्र 10 दिवस के अन्दर निविदा खोली गयी, जबकि नियमानुसार रूपये 20.00 लाख की निविदा के लिए 30 दिवस का समय दिया जाना चाहिए था।

उल्लेखनीय है, कि न्यूनतम दर मेसर्स तनु इंटरप्राईजेज की राशि रूपये 16.00 लाख पी.आई.सी. की बैठक प्रत्याशा में आपके द्वारा दिनांक 06.10.2023 को स्वीकृत की गयी। प्रकरण में दिनांक 04.09.2024 को राशि रूपये 16.00 लाख का भुगतान निविदाकर्ता को किया गया। उक्त भुगतान की पुष्टि लगभग 15 माह बाद पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 02.01.2025 में प्रस्ताव क्रमांक 11 के द्वारा कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जबकि 15 माह में पीआईसी की कई बैठके हुई होंगी, लेकिन आपके द्वारा जानबूझकर 15 माह बाद वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार आपकी और नगरपालिका के अधिकारी/कर्मचारियों की मिली भगत से निकाय को लगभग 09.00 से 10.00 लाख की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी हैं। जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

प्रतिवाद उत्तर – 07,

बिन्दु क्रमांक 07 के संबंध में लेख है कि मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल क्रमांक एफ 6–14/2012/31–तेहत्तर, भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2017 द्वारा जैम से सामग्री आदि क्रय करने हेतु अनिवार्य किया गया है। जिसमें नियमानुसार निर्धारित अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाकर दर स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा अनुसार प्रेसीडेन्ट–इन–कांउसिल के संकल्प क्रमांक 11, दिनांक 02.01.2025 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई उक्त बिन्दु में वर्णित उल्लेख अनुसार साम्रगी क्रय का 16 लाख भुगतान दिनांक 04.09.2024 को किये जाने का लेख है यह पूर्णतः निराधार एवं असत्य है साम्रगी क्रय का भुगतान प्रेसीडेन्ट–इन–कांउसिल की स्वीकृति संकल्प क्रमांक 11, दिनांक 02.01.2025 से प्राप्त होने के उपरांत बाउचर क्रमांक 1765, दिनांक 15.01.2025 द्वारा किया गया, आरोप असत्य होने से अस्वीकार है।

विवेचना – 07

आरोप क्रमांक 07 में अध्यक्ष के विरूद्ध एलम क्रय करने में अनियमितता किये जाने तथा निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप अधिरोपित है। इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में अन्य आरोपों की भांति मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दोषी ठहराते हुए कि गई कार्यवाही को सही बताया है।

अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आये है कि एलम क्रय संबंधी निविदा मात्र 10 दिवस के अंदर ही खोली गई जबकि नियमानुसार वह 30 दिवस होनी चाहिए थी। यह और भी उल्लेखनीय है कि पीआईसी की प्रत्याशा में तनु इंटरप्राईजेज की दर स्वीकृत की गई। पीआईसी की 15 माह बाद हुई बैठक में उपरोक्त क्रय संबंधी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह उल्लेखनीय है कि जहां बाजार दर प्रति किग्रा एलम 6.50/– रूपये है वहां इतना अधिक प्राक्कंलन तैयार कर रूपये 16,00,000/– की निविदा स्वीकृत करना तथा 15 माह बाद परिषद में वित्तीय स्वीकृति देना प्रथम दृष्टया ही निकाय के कर्मचारियों/अधिकारियों के मिलकर ही अनियमितता किये जाने का प्रमाण है तथा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया है। जिस कारण अध्यक्ष, श्री अब्दुल गफ्फार का प्रतिवाद उत्तर मान्य योग्य नहीं है तथा आरोप क्रमांक 07 में उल्लेखित तथ्यों के लिए अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

अतः अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार के विरूद्ध आरोप क्रमांक 07 प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक 08

यह कि पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 03, दिनांक 09.12.2022 द्वारा 90 वॉट की एलईडी लाईट (325 नग) राशि रूपये 20.00 लाख की क्रय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई एवं दिनांक 16.02.2023 को जैम पोर्टल के माध्यम से 10 दिवस की बिड 325 नग 90 एलईडी लाईट क्रय के लिए जारी की गयी। जबकि नियमानुसार 30 दिवस की निविदा जारी की जानी थी, नस्ती में बजट मद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकरण में आपत्ति आने के बाद तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नस्ती पर यह उल्लेख किया गया है, कि भविष्य में ई–टेंडर के माध्यम से ही सामग्री क्रय की जावे। प्रकरण में प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है तथा नस्ती में आपके द्वारा दिनांक 14.01.2023 को यह आदेश जारी किया गया है, कि जैम पोर्टल से ही सामग्री क्रय की जावे, जिसके पालन में दिनांक 16.02.2023 को जैम पोर्टल पर निविदा क्रमांक जैम/2023/बी/314453 दिनांक 16.02.2023 जारी की गई। पुनः 10 दिवस में ही निविदा 27.02.2023 को खोली गई, जिसमें चार निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया। एक निविदाकार मेसर्स तनु इंटरप्राईजेज के द्वारा आपके समक्ष ईएमडी बैंक गांरटी प्रस्तुत की गयी है, जबकि जैम पोर्टल पर ईएमडी के ऑनलाईन जमा करने का विकल्प है। तीन निविदाकारों द्वारा एमएसएमई संस्था होने के कारण नियमों के अंतर्गत ईएमडी से छूट दिये जाने का प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड किया गया था, परंतु निकाय द्वारा मेसर्स तनु इंटरप्राईजेज से ऑफलाईन ईएमडी प्राप्त की फायदा पहुंचाया गया एवं एकल निविदा स्वीकृत कर बिना प्रतिस्पर्धा के अधिक दर पर एलईडी लाईट क्रय की कार्यवाही की गयी। सामग्री ई–निविदा के माध्यम से क्रय की जाना चाहिए परन्तु आपके द्वारा बिना दर के सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये निविदाकर्ता को राशि रूपये 17,03,000.00 का भुगतान किया जाकर निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

प्रतिवाद उत्तर – 08,

आरोप में वर्णित शिकायत के संबंध मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल क्रमांक एफ 6–14/2012/अ–तेहत्तर, भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2017 द्वारा जैम से सामग्री आदि कय करने हेतु अनिवार्य किया गया है एवं नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के विभिन्न नियमो विशेषता 240 में स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार प्राप्त दरों के संबंध में तकनीकी एवं मूल्यांकन समिति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण की नोटशीट क्रमांक 11 पर अंकित निविदा समिति की अनुशंसानुसार दरों की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रकरण मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर–इन–कांउसिल/प्रेसीडेन्ट–इन–कांउसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 नियम 12 संकल्प आदेश का क्रियान्वयन (3) के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की प्रस्तावना प्रकरण में अंकित न होने से आरोप निराधार होने से अस्वीकार है।

विवेचना – 08

आरोप क्रमांक 08 में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार के विरूद्ध आरोप क्रमांक 06 की भांति ही एलईडी लाईट 325 नग क्रय किये जाने में अनियमितता किये जाने तथा निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप अधिरोपित है। इस संबंध में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में अन्य आरोपों की भांति मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दोषी ठहराते हुए कि गई कार्यवाही को सही बताया है।

ऊपर वर्णित अन्य आरोपो की विवेचना अनुरूप ही बिड समयावधि कम होने तथा व्यक्ति विशेष तनु इंटरप्राईजेज का अधिक दर स्वीकृत कर लाभ पहुंचाने के प्रमाण है, जो अभिलेखों में प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट हो रहे है। जिसके लिए अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

अतः अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार पर आरोप क्रमांक 08 प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक 09

यह कि पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 11, दिनांक 21.06.2023 के द्वारा पाईप लाईन लीकेज सुधार सामग्री राशि रूपये 4,16,616.00 की क्रय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। नस्ती में संलग्न प्रस्ताव पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में बिड से बचने के लिये लीकेज सुधार सामग्री क्रय हेतु 16 पृथक–पृथक आयटम सीधे एल–1 से क्रय की कार्यवाही की गयी है। जबकि निकाय को एकल निविदा रूपये 4,16,616.00 की लगाई जानी चाहिए थी। आपके द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है।

सहायक यंत्री द्वारा अंकित किया गया है, कि प्रदाय सामग्री की दरें एसओआर से 40 से 50 प्रतिशत अधिक है, ऐसी स्थिति में निकाय को आर्थिक क्षति होगी एवं प्रस्तुत देयक का भुगतान करने में ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाई गयी थी, जिसके कारण आज दिनांक तक निविदाकार को भुगतान नही किया गया तथा प्रकरण की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है।

यह कि शिकायत की जांच के दौरान जांच समिति द्वारा नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ में जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई सामग्रियों की कुल 66 नस्तियों का अवलोकन किया गया, जिसमें से 58 प्रकरण में मेसर्स तनु इंटरप्राईजेज एवं मेसर्स महाकाल इंडस्ट्रीज से क्रय की कार्यवाही की गई है। उक्त संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों उदाहरणार्थः– एलम, एलईडी, केमिकल्स, जलप्रदाय सामग्री, सेफ्टी किट, हेंडपम्प सामग्री, बैटरी इन्वर्टर, बीलवेयरो, कचरा गाडी, इत्यादि सामग्री बाजार दर से अधिक दर पर क्रय की गई है, जिसमें आपके द्वारा एक संस्था विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। जैम पोर्टल से क्रय किये जाने वाली नस्तियों में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई हैं एवं न ही बाजार दरों का विश्लेषण किया गया है। जैम पोर्टल से क्रय किये जाने की प्रक्रिया में बाजार दर से अधिक दर पर सामाग्री क्रय करके निकाय को आर्थिक क्षति पहुचाई गई है। जिसके लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आप भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है।

प्रतिवाद उत्तर –09

मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल क्रमांक एफ 6–14/2012/31–तेहत्तर, भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2017 द्वारा जैम से सामग्री आदि कय करने हेतु अनिवार्य किया गया है एवं शिकायत बिन्दु क्रमांक 09 वर्णित शिकायत 66 नस्ती का उल्लेख अंकित किया गया है जब कि मुझे 01 प्रकरण पाइप लाइन लीकेज सुधार सामग्री क्रय करने बावत की नकल प्रदान की गई है शेष 65 नस्तीओं की कोई नकल प्रदान नही की गई प्रस्तुत नस्ती में 05 लाख की प्रस्तावना मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अधिकारिता आने से उनके द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा अनुसार मुझे पृष्ठ क्रमांक 03 पर मेरी ओर अग्रेषित किया गया जिस पर मेरे द्वारा सहमति प्रदान की गई प्रकरण नोटशीट क्रमांक 05,06,07,08,09,10 पर शाखा प्रभारी एवं उपयंत्री द्वारा दरों के संबंध में विस्तृत विश्लेषण अंकित है नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के अन्तर्गत नोटशीट पृष्ट क्रमांक 04 पर क्रय समिति की अनुशंसा अंकित है।

प्रकरण में मेरे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नोटशीट पृष्ट क्रमांक 18,19 पर मार्गदर्शन हेतु मेरी ओर अग्रेषित किया गया मेरे द्वारा निकाय में पदस्थ आवासीय संपरीक्षा की ओर अग्रेषित किया गया आवासीय संपरीक्षा के अभिमत उपरांत प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं लाया गया है प्रकरण से स्पष्ट है कि प्रकरण में मेरे द्वारा कोई भुगतान नकरने से समस्त आरोप असत्य होकर अस्वीकार है।

माननीय उच्च न्यायालय ने नेहा जैन बनाम मध्यप्रदेश शासन (34618/25) के मामले में स्पष्ट रूप से यह माना है कि –

27. The Hon'ble Court in the case of Union of India and others Vs-J- Ahmed reported in (1979) 2 SCC 286 has observed that "However lack of efficiency, failure to attain the highest standards of administrative ability while holding the high post would not themselves constitute misconduct. There may be negligence in performance of duty and a laps in performance of duty or error of judgment in evaluating the developing situation may be negligence in discharge of duty but would not constitute misconduct unless the consequences directly attributable to the negligence and would be such as to be irreparable or resultant damage would be so heavy that the degree of culpability would be very high".

28. In the case of Kaushaliya Bai Vs- State of M-P- reported in (1999) 1 MPLJ 368, it was held that the removal of President of Nagar Panchayat can be done when the charges of such serious nature as to warrant of grave action of removal is levied against him. The power under Section 41-A is an eÛtraordinary power which can be invoke sparingly and cannot be invoked on trivial irregularities-

30. In the case of Sharda Mittal (supra) the Court has already considered the aspect that the appointment of muster roll employees was made after the approval of the P-I-C-, therefore, the petitioner cannot be held solely responsible for the same as the same is a joint decision taken by P-I-C- and the petitioner cannot be singularly punished for the same- The Court in the case of Sharda Mittal ¼supra½ has considered the aforesaid aspect- Even the Hon'ble Supreme Court in the case of Punjab State Civil Supplies Corporation Limited Vs- Sikandar Soni reported in (2006) 3 SCC 736 has considered the aspect that the single act of omission or error of judgment would not attract penal action unless such error or omission results in serious or atrocious consequences- While passing the judgment, the Hon'ble Supreme Court has taken note of the judgment passed in the case of P-H-Kalyani Vs- Air France Calcutta reported in AIR 1963 SC 1756. This Court under Article 226 of the Constitution of India can take a judicial review of the order passed by the administrative authority as well as the State Government. The legal principles enumerated in the aforesaid cases is that in matters concerning removal of democratically elected people, this Court can very well look into the matter to point out whether the removal is based upon cogent and compelling reasons. Whether interest of public, interest of council have been properly considered and whether material on the basis of which action has been taken is of such a nature that person can be held to be responsible for having misuse his/her office to such an extent that retaining him in the office will have serious and far reaching consequences. The holder of an office (President) being a democratically elected office, his removal from the office, which is an extreme step must be resorted to only in grave and exceptional circumstances and not for a minor irregularities. The action of removal cast a serious stigma on the person and public life of the office bearer concern and may even result in disqualification to hold the office for the net time.

श्रीमान उत्तानुसार प्रतिवेदन के साथ निवेदन है कि उक्तानुसार जैग पोर्टल से सामग्री क्रय के संबंध मेरे द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से आयुक्त महोदय एवं संयुक्त संचालक को अवगत कराया गया उक्त पत्रो मे पत्र क्रमांक दिनांक 26.03.2024 पर कार्यवाही कर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती गीता मांझी को आदेश क्रमांक/स्था/शा–1/निलंबन/864/2024/12137, भोपाल दिनांक 30.07.2024 से निलंबित किया जाकर वर्तमान मे विभागीय जांच प्रचलित है, साथ ही मेरे द्वारा जनहित, निकाय हित में निस्तर कार्य किये गये उन्ही मे जलगंगा सर्वधन अभियान, 2025 में मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम दिनांक 30.06.2025 को खण्डवा में सम्मानित किया गया। अतः श्रीमान निवेदन है कि प्रथम दृष्टता यह स्पष्ट है कि कथित अनियमिताओं का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण मेरे अधिकार में नहीं आता है। कृपया उक्तानुसार मेरे द्वारा किये गये नियमानुसार कार्यों के लिए संदर्भित कारण बताओं सूचना पत्र निरस्त करने का अनुरोध है।

विवचेना :–

आरोप क्रमांक 09 में अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार के विरूद्ध पाईप लाईन लीकेज सुधार सामग्री क्रय किये जाने में अनियमितता, लेखा नियमों के विपरीत कार्य किये जाने तथा निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप अधिरोपित है। इस संबंध में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में अन्य आरोपों की भांति मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दोषी ठहराते हुए कि गई कार्यवाही को सहीं बताया है।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रमाणित है कि लीकेज सुधार हेतु सामग्री 16 पृथक–पृथक आयटम सीधे क्रय कर ली गई है जबकि उक्त सामग्री एकल निविदा के माध्यम से क्रय की जा सकती थी परंतु ऐसा न कर अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ श्री अब्दुल गफ्फार द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर सामग्री क्रय में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया है।

समग्र रूप से यह और भी उल्लेखनीय है कि आरोपों में क्रय संबंधी प्रावधानों का न तो पालन किया गया है और न ही क्रय संबंधी स्वीकृतियां नियमानुसार दी गई है। अभिलेखों में तथा जांच प्रतिवेदन में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि मेसर्स तुन इंटरप्राईजेज एवं मेसर्स महाकाल इंडस्ट्रीज से ही विभिन्न सामग्री क्रय की गई है। जांच प्रतिवेदन में तथा उपलब्ध अभिलेखो से यह तथ्य स्पष्ट है कि जांच में ली गई नस्तियों में 90 प्रतिशत नस्तियां जो क्रय से संबंधित थी उनमें मेसर्स तनु इंटरप्राईजेज एवं महाकाल इंडस्ट्रीज से बाजार दर से अधिक दर पर क्रय किया गया है तथा नगरपालिका के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मिलकर शासन निधि का दुरूपयोग कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाते हुए अध्यक्ष पद की गरिमा का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़, श्री अब्दुल गफ्फार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

अतः अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़, श्री अब्दुल गफ्फार पर आरोप क्रमांक 09 प्रमाणित पाया जाता है।

उल्लेखनीय हैं कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 में अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य निर्धारित हैं। धारा 51 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) एवं (ग) इस प्रकार हैं:–

e/sanjayadav/order/2026
No. 6/1/4/0002/2026-Sec-3-18(UDH) (Computer No. 1075299)
erated from eOffice by FARHEEN JAHAN, AG3(FJ), ASSISTANT GRADE 3, URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING on 07/04/2026 11:49 am

धारा–51 अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

(1) परिषद के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) *जब तक किसी युक्तियुक्त कारण द्वारा निवारित न हो जाए, परिषद के समस्त सम्मिलनों में अध्यक्षता करे और तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे सम्मिलनों में कामकाज के संचालन का विनियमन करे;*

(ख) *परिषद के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखे और ऐसे कार्यपालन कृत्यों का, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे आवंटित किए जाए, पालन करें;*

(ग) *कार्यपालक प्रशासन के मामलों में और परिषद के लेखाओं तथा अभिलेखों से संबंधित मामलों में परिषद के समस्त अधिकारियों तथा सेवकों के कार्यों तथा कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण करे तथा उन पर नियंत्रण रखे।*

उपरोक्तानुसार विवेचना में श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ के विरूद्ध प्रस्तावित 09 आरोपों में से आरोप क्रमांक–01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 एवं 09 पूर्ण रूप से प्रमाणित पाये गये है। इस प्रकार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टीकमग श्री अब्दुल गफ्फार अधिनियम में वर्णित उक्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का विधि अनुसार पालन करने में विफल रहे है, जिससे नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ में उपरोक्तानुसार गंभीर अनियमितताएं कारित हुई हैं और नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ को आर्थिक क्षति हुई है।

शासन की राय में उपरोक्त कारणों से सिद्ध है कि श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ अपने कर्तव्यों का विधि अनुसार पालन करने में सक्षम नहीं है एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किया जा रहा है। इस कारण श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष का नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़ के अध्यक्ष पद पर बने रहना लोकहित एवं परिषद हित में वांछनीय नहीं है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से पृथक करते हुए आगामी 05 वर्ष के लिए किसी भी निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करता है। साथ ही निकाय को हुई आर्थिक हानि की कुल राशि रूपये 20,82,530/– (राशि रूपये 18,89,790/– दुकान आवंटन एवं राशि रूपये 1,92,830/– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन) में से समान रूप से उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद टीकमगढ़, श्री अब्दुल गफ्फार से वसूली की जावे। उक्त वसूली योग्य राशि निकाय निधि में जमा करवाना होगा।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(शीलेन्द्र सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Digitally signed by
Sheelendra Singh
Date: 07-04-2026
08:29:06

e/sanjayadav/order/2026
No. 6/1/4/0002/2026-Sec-3-18(UDH) (Computer No. 1075299)
erated from eOffice by FARHEEN JAHAN, AG3(FJ), ASSISTANT GRADE 3, URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING on 07/04/2026 11:49 am

पृ. क्रमांक एफ 6/1/4/0002/2026/18–3 भोपाल दिनांक 07/04/2026

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल, म.प्र.,
2. कलेक्टर, जिला टीकमगढ़,
3. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर,
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़,
5. श्री अब्दुल गफ्फार, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़,
6. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग